राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : 9(20)राज–6/2017/103 जयपुर, दिनांक : 19.9.19

परिपत्र

चारागाह भूमि आवंटन के लिये प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। यदि चारागाह भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसी स्थिति में चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किया जाकर ही यह भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध कराई जा सकती है। चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं इसको आवंटन के लिये उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है। जिसके तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किए जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति अनाधिवासित सरकारी भूमि से किए जाने का प्रावधान है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर अन्य प्रयोजनार्थ, उपयोग/आवंटन पर इस नियम की पालना में अनाधिवासित सरकारी भूमि से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा रही है। इस परिपत्र के माध्यम से नियम 7 के तहत आत्यंतिक आवश्यकता के लिए वर्णित प्रयोजनार्थ यथा *air strip, lift irrigation pumping station, government buildings, government offices, shamshan, kabristan, gaushala* and *rehabilitation purpose* हेतु चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की भूमि से की जाए, के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे है :–

1. चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु भूमि, जहां तक संभव हो, उसी ग्राम में व उसी ग्राम में नहीं होने पर उसी पंचायत के अन्य निकटस्थ ग्राम में की जाए।
2. उसी ग्राम अथवा पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर उसी जिले के अन्य ग्राम में भूमि में चारागाह हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) से राज्य सरकार की अनुमति से क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
3. क्षतिपूर्ति ऐसी अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) से की जाए जो विद्यमान चारागाह से लगती हुई हो व विद्यमान चारागाह में आसानी से सम्मिलित होकर चारागाह के रूप में विकसित हो सके।
4. कई बार बहुत कम क्षेत्रफल की अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक होती है। ऐसे में उचित होगा कि इस प्रकार के प्रकरणों हेतु एक बड़े भू–भाग जो 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम नहीं हो, को चिन्हित किया जाए जिसमें से समय–समय पर चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

19.9.19

(कलमेश आबूसरिया)
शासन उप सचिव

Girraj letter/dsrevenue6@gmail.com

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मंडल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—5) विभाग को पोर्टल पर अपलोड किए जाने के हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

19.9.19

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner